फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –थाना जहानगंज

दिनांक -19.02.2026

एसओजी/सर्विलांस/थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को आला कत्ल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन,कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन,श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त अमन कुमार पुत्र स्व0 सुनील कुमार उर्फ नेक्से को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

01.अमन कुमार पुत्र स्व0 सुनील कुमार उर्फ नेक्से ग्राम बेहटा थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरण –दिनांक 13.02.2026 को समय करीब सुबह 06.30 बजे थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुई कि सुनील उर्फ नेक्से पुत्र स्व0 हेतराम निवासी ग्राम बेहटा थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खेत पर आलू खोदते समय हत्या कर दी गई है। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर ज्ञात हुआ कि वादी मुकदमा अमन उपरोक्त के द्वारा ही अपने पिता

सुनील कुमार उर्फ नेक्से उपरोक्त की हत्या किया जाना प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अमन कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल (एक डण्डा) काली नदी के किनारे जंगल से बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त अमन कुमार उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे पिता जी सुनील कुमार मुझसे व मेरी माता जी से अलग मेरे चाचा अनिल कुमार के साथ रहते थे, वही खाते थे, और उन्हे की खेती बाडी करते थे, और जो पैदा होता था, वह सब चाचा को देते थे, मुझे शक था कि मेरे पापा जी मेरे हिस्से की जमीन मेरे चाचा व मेरे चचेरे भाई को लिख देंगे। मेरी माता व मेरे नाम कुछ नही करेगे, मेरी शादी के लिये मुझे देखने लोग आये थे, उन लोगो से भी मेरे पिता जी नें कह दिया था, कि इस लडके से मेरा कोई सम्बन्ध नही है, दिनांक 13.02.2026 को मैं अपनी मोटर साइकिल से पापा के जाने से पहले खेत पर पहुंच गया था। पापा जब खेत में आलू खोदने लगे तो मैने आलू खोदते समय उनके सिर में पीछे से डण्डे मार-मार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद मैने डण्डा काली नदी के किनारे जंगल में फेंक दिया था, और में घर भाग गया था, जिससे किसी को शक न हो। साहब मुझसे गलती हो गई। शेष सफाई जरिए अधिवक्ता मा0 न्यायालय मे देना बताया।

अभियुक्त अमन उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

01.मु0अ0सं0 19/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ।

अभियुक्त अमन के कब्जे से बरामदगी का विवरण-

01. एक लकडी का डण्डा काले टेप से लिपटा हुआ।

गिरफ्तार करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष राजेश राय
2. का0 अनुज प्रताप सिंह
3. का0 सोनू सिंह

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम

1. उ0नि0 श्री सचिन सिंह चौधरी (प्रभारी एसओजी)
2. हे0का0 करन यादव
3. हे0का0 तेजप्रताप
4. हे0का0 जितिन त्रिपाठी
5. का0 दिव्यांशु
6. का0 सौरभ धीमान
7. का0 धर्मेंद्र सिंह
8. का0 विकास चन्द्र
9. मु0आ0चा0 चंद्रशेखर

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीम

1. उ0नि0 श्री सन्तकुमार (प्रभारी सर्विलांस टीम)
2. क0ऑ0 अमित शर्मा
3. हे0का0 संदीप राव
4. हे0का0 अनुराग कुमार
5. हे0का0 सचेंद्र सिंह
6. हे0का0 मयंक दीप
7. का0 राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि0-19.02.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त गण 1. रामशरण पुत्र कालीचरण 2. सुखवीर पुत्र रामशरण 3. धर्मेन्द्र पुत्र रामशरण 4. नरेन्द्र उर्फ छब्बू पुत्र रामनाथ 5. सुरेन्द्र पुत्र रामनाथ समस्त निवासीगण खगऊ थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0स0 68/2015 वाद संख्या- 1259/2018 धारा 147,323,504,506,325 भा0द0वि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त गणों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 19.02.2026 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 02-02 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 3000-3000 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

पी0ओ0- श्री अंकित कुमार

को0 मो0 का0 अनुज चौधरी

पैरोकार का0 प्रवीन कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दि0-19.02.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मुन्ना पुत्र वीरभान सिंह निवासी नगला भूड थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0स0 116/1992 वाद संख्या- 1664/1996 धारा 323,324,325 भा0द0वि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 19.02.2026 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त मुन्ना उपरोक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 6500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

पी0ओ0- श्री अंकित कुमार

को0 मो0 का0 अनुज चौधरी

पैरोकार का0 संजीव कुमार